

राज्यपाल सचिवालय,  
राजभवन, जयपुर

क्रमांक: प.17()राभ/587/पार्ट/3242

दिनांक: 24.06.2022

सीमित बोली सूचना

राजभवन जयपुर में गायों के लिए आवश्यकतानुसार 05 से 10 मन ज्वार कुट्टी प्रति सप्ताह/पखवाडा सफ्लाई कार्य के लिए दरें आमंत्रित की जाती हैं जो दिनांक 30.06.2022 दोपहर 02.00 बजे तक आवश्यक दस्तावेजों के साथ बंद लिफाफे में कन्ट्रोलर, राज्यपाल हाउस होल्ड के नाम प्रस्तुत की जा सकती है। प्राप्त बोली दिनांक 30.06.2022 को अपराह्न 3.00 बजे उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष राजभवन कार्यालय में खोली जावेगी। कार्य की लागत रुपये 1,90,000/- समस्त करों सहित होगी।

इच्छुक फर्म दिनांक 24.06.2022 अपराह्न से बोली प्रपत्र कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं अथवा राजभवन की साईट [www.rajbhawan.rajasthan.gov.in](http://www.rajbhawan.rajasthan.gov.in) एवं <http://sppp.raj.nic.in> से डाउनलोड भी कर सकते हैं।

  
(संजीव कुमार शर्मा)  
कन्ट्रोलर,  
राज्यपाल, हाउसहोल्ड

क्रमांक: प.17()राभ/587/पार्ट/3243

दिनांक: 24.06.2022

प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. वित्तीय सलाहकार, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर।
2. प्रोग्रामर, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, को राजभवन की साईट [www.rajbhawan.rajasthan.gov.in](http://www.rajbhawan.rajasthan.gov.in) एवं <http://sppp.raj.nic.in> पर अपलोड करने हेतु।
3. नोटिस बोर्ड, कार्यालय
4. रक्षित पत्रावली

  
(संजीव कुमार शर्मा)  
कन्ट्रोलर,

राज्यपाल सचिवालय,  
राजभवन, जयपुर

बोली प्रपत्र

राजभवन जयपुर में गायों के लिए ज्वार कुट्टी सप्लाई दरों बाबत ।

बोलीदाता का नाम:-.....

पता:-.....

क्रम सं०	कार्य का विवरण	बोली दाता द्वारा प्रस्तुत दर रूपये प्रति मन (40KG )	जी.एस.टी./कर की दर प्रतिशत में यदि लागु हो तो
1	राजभवन जयपुर में गायों के लिए ज्वार कुट्टी सप्लाई बाबत		

दिनांक .....

बोलीदाता के हस्ताक्षर  
एवं पूर्ण पता मय मोबाईल नम्बर

राज्यपाल सचिवालय  
राजभवन, जयपुर

बोली की शर्तें

**कार्य का नाम:— राजभवन जयपुर में गायों के लिए ज्वार कुट्टी सप्लाई दरों बाबत ।**

1. इस कार्य की अवधि कार्यादेश दिनांक से एक वर्ष होगी।
2. ज्वार कुट्टी सुखी, खरक रहीत, होनी चाहीये तथा मॉग के अनुसार 05 से 10 मन ज्वार कुट्टी प्रति सप्ताह/पखवाडा राजभवन गो-शाला जयपुर को अधिकतम दो दिवस में आपूर्त करनी होगी।
3. कार्य राजभवन द्वारा इस हेतु अधिकृत अधिकारी के निर्देशन में करना होगा।
4. बोली प्रपत्र सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा। बोली डाक व तार द्वारा मान्य नहीं होगी।
5. बोली दर सिर्फ स्याही से भरी जावे उसमें कोई काट-छांट ना हो। किसी प्रकार के सुधार पर अपने लघु हस्ताक्षर करें।
6. यदि अनुमोदित ठेकेदार अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्य सम्पादित करने में असफल रहा तो ठेका तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा।
7. ठेकेदार ठेके को या उसके किसी भाग को अन्य किसी ठेकेदार/संस्था को नहीं देगा अर्थात् सबलेट नहीं करेगा।
9. विभाग को यह अधिकार होगा कि वह न्यूनतम दर वाले प्रस्ताव के अतिरिक्त अन्य किसी प्रस्ताव को स्वीकार्य कर सकता है तथा किसी भी बोली को बिना किसी कारण बताए निरस्त कर सकता है।
10. ठेका संबंधी समस्त पत्राचार कन्ट्रोलर, राज्यपाल हाउस होल्ड जयपुर, के नाम करना होगा। ठेके के संबंध में किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही जयपुर में ही मान्य होगी।
11. उक्त ठेके के अनुबंध में यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हुआ तो उसका अंतिम निर्णय श्रीमान प्रमुख सचिव, राज्यपाल राजस्थान, जयपुर का मान्य होगा।
11. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर लागू नियमों की पालना करनी होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर  
एवं पूर्ण पता मय फोन नम्बर